न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(बाल मुकुन्द असावा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपील संख्याः 07/2021

दायर दिनांकः 15.02.2021

निर्णय दिनांक 13.01.2025

—: अनवान :—

1. श्री ऊंकार पिता देवा जी गुर्जर उम्र वयस्क निवासी डिप्टी खेडा
2. श्री गोवर्धन पिता देवा जी गुर्जर निवासी डिप्टी खेडा मृतक के बजाय कायम मुकाम

   2/1. श्रीमती गमेरी बाई पत्नी गोवर्धन जी गुर्जर निवासी डिप्टी खेड़ा (ड्रोप)

   2/2. श्री रामेश्वर पिता गोवर्धन जी गुर्जर निवासी डिप्टी खेडा

   2/3. श्रीमती मिट्ठु बाई पुत्री गोवर्धन जी गुर्जर निवासी डिप्टी खेडा तहसील राजसमंद जिला राजसमंद
3. श्री धन्ना पिता देवा जी गुर्जर उम्र वयस्क निवासी डिप्टी खेडा
4. श्री छग्गु पिता देवा जी गुर्जर उम्र वयस्क निवासी डिप्टी खेडा
5. श्री लच्छा पिता देवा जी गुर्जर उम्र वयस्क निवासी डिप्टी खेडा मृतक के बजाय कायम मुकाम

   5/1. श्री भंवर पिता लच्छा जी गुर्जर उम्र वयस्क निवासी डिप्टी खेडा

   5/2. श्री मदन पिता लच्छा जी गुर्जर उम्र वयस्क निवासी डिप्टी वेडा

6. श्री मोहन पिता देवा जी गुर्जर (गोद पुत्र मेरा जी गुर्जर) उम्र वयस्क निवासी डिप्टी खेडा तहसील राजसमंद जिला राजसमंद **—— अपीलार्थीगण**

:: बनाम ::

1. श्री नाना पिता भज्जा जी गुर्जर उम्र वयस्क निवासी डिप्टी खेडा
2. श्री मूला पिता भज्जा जी गुर्जर उम्म्र वयस्क निवासी डिप्टी खेडा
3. श्रीमती सीता पुत्री भज्जा जी गुर्जर उम्र वयस्क निवासी डिप्टी खेडा
4. श्री गोपीलाल पिता लच्छा जी गुर्जर उम्र वयस्क निवासी डिप्टी खेडा
5. श्रीमती भंवरी पुत्री देवा जी गुर्जर उम्र वयस्क निवासी डिप्टी खेडा तहसील राज़समंद जिला राजसमंद
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय राजसमंद

— रेस्पोडेन्टगण

न्यायालय जिला कलक्टर

प्रथम अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 28 दिनांक 27.02.1976 तहसीलदार जी, राजसमन्द जिला राजसमन्द मृतक मियाराम पिता पीथा जी गुर्जर की मृत्यु पर वारिसान के नाम स्वीकृत गलत म्यूटेशन की अपील

उपस्थितः–

1– श्री सम्पत लाल लडढा, अधिवक्ता अपीलान्ट
2– श्री शेषमल गाडरी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04
3– श्री प्रतिक भण्डारी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 05
4– श्री अनिल बागोरा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 06

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने प्रथम अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 28 दिनांक 27.02.1976 तहसीलदार जी, राजसमन्द जिला राजसमन्द मृतक मियाराम पिता पीथा जी गुर्जर की मृत्यु पर वारिसान के नाम स्वीकृत गलत म्यूटेशन की अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है –

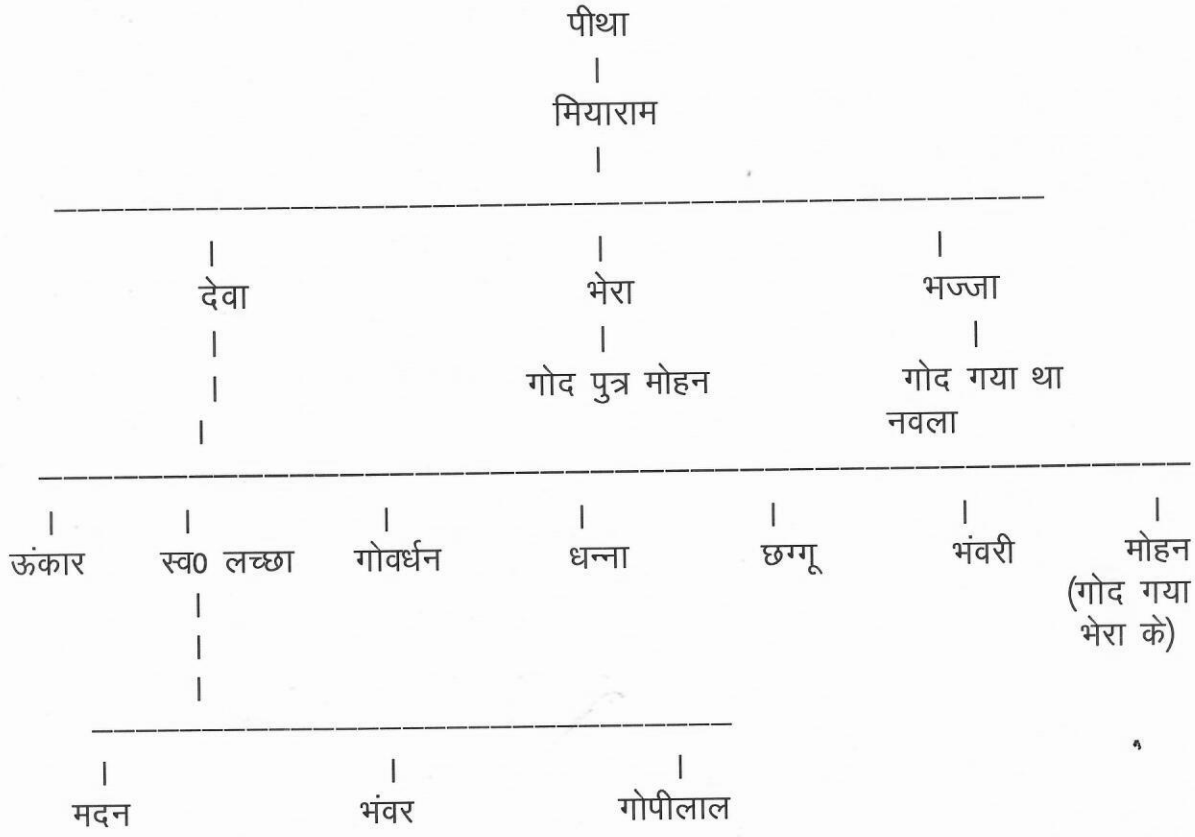

न्यायालय जिला कलक्टर

स्व0 नवला पिता अमरा

|

गोद पुत्र स्व0 भज्जा

|

नाना	मूला	सीता	स्व0 कंकू

स्व0 लच्छा कि संतान गोपीलाल अपील में सरिक नही हुआ क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 मूला का साडू है इस कारण उसे विपक्षी संख्या 1 रेस्पोडेन्ट बनाया है देवाजी की पुत्री भंवरी यहां नहीं होकर बाहर इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 5 बनाई गई है गोपीलाल व भंवरी आवश्यक पक्षकार है रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2, व 3 के पूर्वाधिकारी भज्जा जी नवला जी के गोद चले गए। भज्जा जी ने नवला जी की संपत्ति प्राप्त की। इंतकाल नंबर 247 दिनांक 30.07.1968 द्वारा भज्जा पिता अमरा की खेती की जमीने विरासत से भज्जा पिता नवला गुर्जर के नाम अंकित हुई। मियाराम पिता पीथा जी गुर्जर की मृत्यु पर जमीन बचे पुत्र देवा, भेरा के ही नाम पर अंकित होनी चाहिए थी। किन्तु मियाराम जी की मृत्यु पर सन् 1975 में इंतकाल खोला गया उसमें नाना, मूला, सीता पिता भज्जा (रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2,3) का नाम भी मियाराम जी के वारिस के रूप में अंकित कर दिया गया जो विधिक त्रुटी है भज्जा ने गोद पिता की संपत्ति विरासत से 1968 में प्राप्त कर ली तो 1975 में मूल पिता की मृत्यु पर उनकी संपति में भज्जा के वारिस हक हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकते है व्यक्ति मूल पिता से या गोद पिता से ही संपति प्राप्त कर सकता है दोनो तरफ से संपति प्राप्त नहीं कर सकता है। इंतकाल नं. 28 अवैध, त्रुटीपूर्ण, विधि विरूद्ध एवं गलत खुला है जो प्रारंभ से ही व्यर्थ व शून्य है क्योंकि इसमें गोदपुत्र की संतानों का भी नाम जोड़ दिया गया है ऐसे अवैध, शून्य, इंतकाल की अपील हेतु समय सीमा बाधक नहीं होती है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थी मंजुर की जाकर अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 28 दिनांक 27.02.1976 को निरस्त किया जाकर मियाराम जी की मृत्यु पर गोद गये पुत्र भज्जा के वारिसान के नाम दर्ज किये है उन्हें हटाया जाएं।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पाडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 की ओर से अधिवक्ता श्री शेषमल गाडरी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 05 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रतीक भण्डारी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 06 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा, ने उपस्थिति दी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रकरण मियाद से बाधित पाया गया। परन्तु प्रकरण में न्यायहित में गुणावगुण पर निर्णय किया जाना उचित प्रतीत होने से पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। किन्तु अधिवक्ता अपीलान्ट ने दिनांक 08.11.2024 को प्रार्थना पत्र बाबत् राजीनामे के अनुसार कार्यवाही खत्म करने बाबत् पेश कर अपील निर्णित करने का निवेदन किया।

न्यायालय जिला कलक्टर

मैंने अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत राजीनामे का भी अवलोकन किया। प्रश्नगत प्रकरण में नामान्तरण संख्या 28 दिनांक 27.02.1976 जो कि तहसीलदार राजसमन्द द्वारा विरासत के आधार पर स्वीकृत किया गया था, को चुनौति देते हुए खारिज करने बाबत निवेदन किया गया। अपीलान्ट ने उक्त नामान्तरण को निरस्त करने के लिए मुख्य आधार यह बताया कि खातेदार मियाराम के पुत्र भज्जा जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2, व 3 के पूर्वाधिकारी है, अन्य स्थान पर गोद चले गए इसलिए भज्जा का मियाराम की संपत्ति में कोई हक अधिकार नहीं रह जाता है अतः नामान्तरण संख्या 28 दिनांक 27.02.1976 को अस्वीकृत किया जावे। तत्पश्चात् अपीलान्ट ने एक समझौता पत्र दिनांक 08.11.2024 को न्यायालय में प्रस्तुत किया। उक्त समझौता पत्र में ग्राम डिप्टी पटवार हल्का सुन्दरचा के कुल किता 55 कुल रकबा 9.8177 हैक्टेयर भूमि के बारे में गिफ्ट डीड करवाने, हक त्याग करवाने एवं अंतरण करवाने संबंधी उल्लेख किया गया।

अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 28 मियाराम की मृत्यु होने पर उसके वारिसान के नाम पर विरासत से लगभग 50 वर्ष पूर्व स्वीकृत किया गया था। अपीलान्ट भज्जा के गोद जाने के आधार पर उक्त नामान्तरण को निरस्त कराने की अपील प्रस्तुत की है, जबकि अपीलाधीन नामान्तरण मियाराम के विधिक वारिसान के नाम पर खोला गया था। भज्जा की मृत्यु के पश्चात् विरासत से खोले गये नामान्तरण को किसी भी न्यायालय में चुनौति नहीं दी गयी अपीलान्ट ने अपनी अपील को सिद्ध करने के लिए ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया कि नामान्तरण संख्या 28 में उल्लेखित उत्तराधिकारी श्री मियाराम के विधिक वारिसान नहीं है।

अपीलार्थी समझौता पत्र के माध्यम से भविष्य में किये जाने वाले अंतरणों के आधार पर अपील को राजीनामे से निर्णित करवाना चाहते है। गोदनामा, गिफ्ट डीड, हक त्याग निष्पादन, भूमि का अंतरण इत्यादि पृथक विधिक प्रक्रिया से संपादित किये जाने वाले कार्य जिसके आधार पर वर्तमान अपील निस्तारित नहीं कि जा सकती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत अपील नामान्तरण स्वीकृत होने के लगभग 50 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत कि गयी है। 50 वर्षो के असाधारण विलम्ब का कोई सुदृढ़ आधार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

विचाराधीन अपील में अपीलान्ट ने " **नामान्तरण संख्या 28 दिनांक 27.02.1976 निरस्त किया जाकर मियाराम जी की मृत्यु पर गोद गये पुत्र भज्जा के वारिसान के नाम दर्ज किये है उन्हे हटाया जाये**" यह राहत अपील में चाही गई है। समझौता पत्र के माध्यम से अपील में चाही गई राहत से अतिरिक्त जाकर भूमियों के अंतरण का प्रयास किया गया है जो विधि अनुरूप अनुमत नहीं किया जा सकता है अतः निष्कर्षतः

न्यायालय जिला कलक्टर

नामान्तरण संख्या 28 श्री मियाराम के विधिक वारिसान के नाम पर विधि अनुरूप खोला गया। जिसमें किसी भी प्रकार का दखल दिया जाना उचित नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार करके खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज की जाती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 28, दिनांक 27.02.1976 को यथावत रखा जाता हैं।

13/01/25

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 13.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)